


Form No-III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर मुकाम श्रीविजयनगर अनवान् कन्हैया लाल बनाम मुखराम आदि किस्म मुकदमा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53-88-188-209 आरटीएक्ट वाद संख्या 48/2024

तारीख हुक्म जारी करने की	कार्यवाही मय इनशियलस जज	हुक्म तारीख व तामिल
09.10.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वादी कन्हैयालाल पुत्र श्री विनोद कुमार नाबालिग जरिये माता गिरदावरी देवी पत्नि श्री विनोद कुमार जाति जाट निवासी सुरजनसर ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है, इसलिए पक्षकारान उक्त पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है, पत्रावली को इसी स्तर पर दाखिल दफ्तर करने का निवेदन किया गया।</p> <p>अतः वादीया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाकर दाखिल दफ्तर करने के आदेश दिये जाते है।</p> <p>निर्णय आदिनांक 09.10.2024 को सुनाया गया।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर</p>	

